न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाश चन्द्र

अपील संख्या– 43/19 तारीख रज्जू–09/10/19

1 गोरी लाल पुत्र फुला जाति कीर जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

2 देवीशंकर पुत्र स्व0 रमेश जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

3 सुरेश पुत्र स्व0 रमेश जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

4 काली उर्फ कौशल्या पुत्री स्व0 रमेश जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

5 डगली पत्नि स्व0 रमेश जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

----अपीलान्ट

बनाम

1 जगदीश पुत्र फुला जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

2. रामजीलाल पुत्र फुला जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

3. साबू पुत्र फुला जाति कीर निवासीयान ईसरदा डींग की ढाणी तहसील चौथ का बरवाड़ा।

4. तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 17.12.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम रायपुरा के नामान्तकरण संख्या 1461 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.77 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के ग्राम ईसरदा में फुला पुत्र ओकार की स्थित खातेदारी भूमि का फुला के फोत हो जाने पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 1461 निर्णय दिनांक 29.10.77 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा उभय पक्ष द्वारा बहस हेतु अनुरोध करने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहसील चौथ का बरवाड़ा के ग्राम ईसरदा में फुला पुत्र ओकार की खातेदारी भूमि स्थित थी। फुला के फोत हो जाने पर उक्त वाद–आराजीयात का विरासत नामान्तकरण खोला गया था। उक्त नामान्तकरण में अदालत मातहत द्वारा गोरीलाल के स्थान पर गोपी नाम गलत तस्दीक कर दिया तथा मृतक फुला के पुत्र रमेश का नाम नामान्तकरण में तस्दीक होने से रह गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य स्थिती में होने के कारण निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 1461 निर्णय दिनांक 29.10.77 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस अपीलान्ट के कथन को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपील स्वीकार करने में हम रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोडेन्टस् ने अपीलान्ट के कथन को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 1461 निर्णय दिनांक 29.10.77 वाके ग्राम ईसरदा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि फुला पुत्र औकार के विधिक वारिसानों की जानकारी कर पुनः नये सिरे से विधीनुसार नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.06 13:40:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: